



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1987]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 1987]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2015

का. आ. 2535 (अ)-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

### प्रारूप अधिसूचना

अरुणाचल प्रदेश राज्य में केन वन्य जीव अभयारण्य 1991 में सृजित किया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश सरकार की तारीख 11 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/43/92/1133-68 द्वारा अधिसूचित 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से घिरा हुआ है और प्राकृतिक सुन्दरता के साथ समृद्ध जैव विविधता का एक उपहार है और यह उष्णकटिबंधी अर्द्ध सदा हरित वनों से उपोष्णतीय आद्र वनों तक से मिलकर अर्द्ध सदाहरित वनों के पादगिरि में अवस्थित है ;

और अभयारण्य, हाथियों, बाघों, लघु पुच्छ वानरों, हिरणों आदि जैसी संकटमय अनेक प्रजातियों का गृह है। यह क्षेत्र सिरी (ज्याधौल) नदी की उपनदियों तथा बहूत से नालों और झरनों के साथ ऊंचा-नीचा और कुछ सौम्य ढलानों के साथ पहाड़ी क्षेत्र है।

और अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में टेमिनायामीयोकार्पा, एलांथस एक्सेल्सा, बिचोफियाजावोनिका, एल्बिजियाप्रोसेरा, आर्टोकार्पसचप्लासा, द्वाफंगग्रेन्डिफ्लोरा, केनारियमस्ट्रिक्सियम, डिलेनियानिडियाका, क्वेर्कसलालिलियोसा, केस्टोनोसिसइंडिका, फेबे गोलपेरेन्टस, टर्सपरममासेरिफोलियम, बोम्बेक्ससीबा कर्कस एसपी., स्टर्कलियाविलोसा, सिजिजीयममेकारोकार्पम आदि के साथ-साथ बांस, केन और जंगली केले भी हाथियों के लिए उपलब्ध हैं।

और अभयारण्य, एलिफसजमैक्सिमस, पैथर टिग्रीस, पेंथेरापाईस, नियोफेलिसनेबुलोसा, अर्सुस्थीबेटानस, मेकाकासामेंसिस, ट्रेचीपिथेकसपाइलेटस, सर्वसनिकोलर, मुंटियाकसमुंतजक, नेमोहेंड्स गोरल, एन. सनमेट्रानेसिस, सस स्क्रोफा, कुओन अल्पाइन्स आदि जैसे जंगली पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए गृह है; और बेबलर्स, गरुड, मक्खीमार, जंगली मुरगी, कोडिल्ला, हंसने वाली बाम्कार आदि जैसे निवासी और प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं;

और अभयारण्य के परिसर्प जीव-जंतुओं में मोटे तौर पर सामान्य मेढक जैसे बुफो एसपी., दत्तफरीनस एसपी. हाइला एसपी. आदि और सरीसृप में कैलोटस एसपी., जपालुरा एसपी. वरानस एसपी. स्किक्स जैसी छिपकलियां, यूट्रोफिस एसपी., लिगोसोमा एसपी. आदि जैसी कोतरियां, पाइथोन एसपी., अहेतुल्ला एसपी., एम्फिजमा एसपी., बुंगारुस एसपी., राजा एसपी. ओफियोफेरस एसपी. जैसे सर्प; क्योरा एसपी., पेंगशुरस्प जैसे कछुए और जल निकायों में डानियो एसपी., बरीलियस एसपी. सेमीप्लोटुस एसपी., पुंटियस एसपी., टॉर एसपी., चगुनियस एसपी., गर्रा एसपी. भी पाए जाते हैं;

और, केन वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश में केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 50 से 500 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को केन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 50 मीटर से लेकर 500 मीटर तक के अंतर में है। दक्षिण और पूर्व में पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 50 मीटर है और केन वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में 100 मीटर से 500 मीटर तक है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 95.90 हेक्टर है।

(2) केन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा, केन वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 94° 34' 59.567" पूर्व और 27° 38' 37.108" उत्तर के भू-समन्वय के बिंदु से प्रारंभ होती है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा 500 मीटर से पश्चिम की ओर जाते हुए 94° 34' 41.034" पूर्व और 27° 38' 27.328" उत्तर के भू-समन्वय बिंदुओं तक जाती है, फिर 94° 34' 42.234" पूर्व और 27° 39' 41.253" उत्तर, 94° 35' 13.757" पूर्व और 27° 39' 41.167" उत्तर, 94° 36' 14.409" पूर्व और 27° 40' 4.233" उत्तर, 94° 36' 46.788" पूर्व और 27° 41' 32.882" उत्तर, 94° 36' 51.414" पूर्व और 27° 42' 10.915" उत्तर भू-समन्वय बिंदुओं के माध्यम से 500 मीटर पर अभयारण्य के समानांतर 94° 38' 30.609" पूर्व और 27° 42' 9.887" उत्तर तक जाती है तथा सीमा 400 मीटर के लिए दक्षिण की ओर जाते हुए 94° 38' 31.637" पूर्व और 27° 41' 51.552" उत्तर भू-समन्वय बिंदुओं तक जाती है, फिर 94° 39' 30.486" पूर्व और 27° 41' 26.2" उत्तर, 94° 40' 57.089" पूर्व और 27° 41' 11.552" उत्तर भू-समन्वय के बिंदुओं से होकर अभयारण्य सीमा के समानांतर 100 मीटर तक, 94° 40' 55.675" पूर्व और 27° 41' 10.421" उत्तर भू-समन्वय बिंदुओं तक 50 मीटर के लिए दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है, फिर 94° 41' 3.492" पूर्व और 27° 41' 3.679" उत्तर, 94° 41' 14.36" पूर्व और 27° 40' 56.209" उत्तर, 94° 41' 19.091" पूर्व और 27° 40' 28.49" उत्तर, 94° 41' 27.691" पूर्व और 27° 40' 19.376" उत्तर, 94° 38' 42.806" पूर्व और 27° 39' 21.401" उत्तर, 94° 38' 16.765" पूर्व और 27° 39' 40.863" उत्तर भू-समन्वय बिंदुओं से होते हुए अभयारण्य सीमा के समानांतर 50 मीटर तक जाते हुए 94° 34' 59.567" पूर्व और 27° 38' 25.587" उत्तर तक फिर उत्तर की ओर 50 मीटर तक चलकर आरंभिक बिंदु तक जाती है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र, इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(4) केन वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं आता है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।



- (2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हों।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्र.सं. 29, 32, 37, और 42 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (iii) वर्षा जल संचयन; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पी भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल-स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -



- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकृत किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान वाणिज्यिक स्थापनों जैसे होटलों तथा रिसोर्टों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

395 3 6/15-2

	से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	
(9)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(10)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्भाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे । प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप की दशा में, इसे विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा ।
(12)	शिकार करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(13)	नदी का विषैलापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	विस्फोटक का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(15)	अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(16)	जल, जिसके अंतर्गत कृषि है का संदूषण या प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(17)	नई उच्च वोल्टता पारेषण लाइन/तार बिछाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
(18)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
(19)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(21)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(22)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय के साथ किया जाएगा ।
(23)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	वायु (ध्वनि सहित) और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्भाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
(29)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या



		कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(30)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(33)	काष्ठ का संचयन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(34)	झूम की कृषि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(35)	चाय/काँफी संपदा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>अनुज्ञाप्राप्त क्रियाकलाप :</b>		
(36)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(37)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(41)	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(42)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(43)	मिथुन (बोसफ्रंटेलिस) का उत्पादन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) उपायुक्त, पश्चिमी सियांग जिला, आलो, अरुणाचल प्रदेश सरकार - अध्यक्ष ;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ग) सदस्य-सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इतानगर-सदस्य;

(घ) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, पश्चिमी सियांग जिला - सदस्य ;

(ङ) जिला कृषि अधिकारी, पश्चिमी सियांग जिला - सदस्य ;

(च) जिला पर्यटन अधिकारी, पश्चिमी सियांग जिला - सदस्य ;

(छ) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ज) जिला पशु-चिकित्सा अधिकारी, पश्चिमी सियांग जिला - सदस्य; और

(झ) प्रखंड वन अधिकारी, केन वन्यजीव अभयारण्य, लिकाबाली - सदस्य-सचिव।

## निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ)-तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध II में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।


[फा. सं. 25/7/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'



उपाबंध I

केन वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



3953 GI/15-3

## उपाबंध-II

## पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2015

**S.O.2535(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Ali Ganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

## Draft Notification

WHEREAS, the Kane Wild Life Sanctuary in the State of Arunachal Pradesh was created in 1991 covering an area of 55.18 Square Kilometres notified wide notification of the Government of Arunachal Pradesh number CWL/D/43/92/1133-68, dated the 11<sup>th</sup> April, 2007, is gift of rich biodiversity with scenic beauty and situated in the foothill in semi ever green forest, consisting of Tropical semi evergreen forests to subtropical moist forests;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to many threatened species like Elephants, Tigers, Rhesus macaque, Deers etc. The area is rugged, mountainous with few gentle slopes with tributary of Siri (Jiadhol) river and many rivulets and streams.

AND WHEREAS, the major tree species found in the sanctuary are *Teminaiamyriocarpa*, *Ailanthus excelsa*, *Bischofia javonica*, *Albizia procera*, *Artocarpus chaplasi*, *Duabhangagrandiflora*, *Canarium strictum*, *Dilleniaindica*, *Quercus laliosa*, *Castonosisindica*, *Phoebe goalparents*, *Pterspermum acerifolium*, *Bombax ceiba*, *Quercus sp.*, *Sterculia villosa*, *Syzgium Macarocarpum* etc. besides bamboo, cane and wild banana are also available for elephants.

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to many species of wild animals like *Elephus maximus*, *Panther tigris*, *Panthera pardus*, *Neofelis nebulosa*, *Ursus thibetanus*, *Macaca assamensis*, *Trachypithecus pileatus*, *Cervus unicolor*, *Muntiacus muntjak*, *Naemorhedus goral*, *N. sunnitraensis*, *Sus scrofa*, *Cuon alpinus* etc., and as many species of resident and migratory birds are like Babblers, Eagles, Flycatchers, Junglefowl, Kingfishers, Laughing thrushes etc., are also found;

AND WHEREAS, The herpeto fauna of the Sanctuary broadly comprise of common frogs as- *Bufo* sp., *Duttaphrynus* sp., *Hyla* sp. Etc., and reptiles as Lizards- *Calotes* sp., *Japalura* sp., *Varanus* sp. Skinks as- *Eutrophis* sp.,



*Lygosoma* sp. etc. Snakes as – *Python* sp., *Ahaetulla* sp., *Amphiesma* sp., *Bungarus* sp., *Naja* sp., *Ophiophagus* sp., Tortoises as- *Cuora* sp., *Pangshurasp.*, and The aquatic bodies harbors various fishes as *Danio* sp., *Barilius* sp., *Semiplotussp.*, *Puntius* sp., *Tor* spp., *Chagunius* sp., *Garra* sp., are also found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Kane Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 50 to 100 metres from the boundary of the Kane Wildlife Sanctuary in the State of Arunachal Pradesh as the Kane Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter called as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 50 metres to 500 meters from the boundary of the Kane Wildlife Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone is 50 metres in the southern and eastern and 100 meters to 500 meters in northern of the Kane Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 95.90 hectares.

(2) The boundary of Kane Wildlife Sanctuary is starts from a point at geo-coordinates 94°34'59.567"E and 27°38'27.108"N on the South-West boundary of Kane Wildlife Sanctuary and the boundary of the Eco-sensitive Zone goes westwards from 500 meters upto the points at geo-coordinates 94°34'41.034"E and 27°38'27.328"N, then the boundary goes parallel to the Sanctuary boundary 500 meters through points at geo-coordinates 94°34'42.234"E and 27°39'41.253"N, 94°35'13.757"E and 27°39'41.167"N, 94°36'14.409"E and 27°40'4.223"N, 94°36'46.788"E and 27°41'32.882"N, 94°36'51.414"E and 27°42'10.915"N upto the geo-coordinates 94°38'30.609"E and 27°42'9.887"N and the boundary goes southwards for 400 meters upto the points at geo-coordinates 94°38'31.637"E and 27°41'51.552"N and goes 100 meters parallel to the sanctuary boundary through points at geo-coordinates 94°39'30.486"E and 27°41'26.2"N, 94°40'57.089"E and 27°41'11.552"N, south-westwards for 50 meters to the points at geo-coordinates 94°40'55.675"E and 27°41'10.421"N then goes 50 meters parallel to the sanctuary boundary passing through the points at geo-coordinates 94°41'3.492"E and 27°41'3.679"N, 94°41'14.36"E and 27°40'56.209"N, 94°41'19.091"E and 27°40'28.49"N, 94°41'27.691"E and 27°40'19.376"N, 94°38'42.806"E and 27°39'21.401"N, 94°38'16.765"E and 27°39'40.863"N upto 94°34'59.567"E and 27°38'25.587"N then northwards for 50 meters upto the starting point.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(4) No village falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Kane Wildlife Sanctuary.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Arunachal Pradesh State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.



(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Landuse.**— Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 29, 32, 37 and 42 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans, etc.,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Arunachal Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.



(4) **Natural Heritage.**-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under.-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable mannerat site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**-The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

3953 62/15-4

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
<b>A. Prohibited Activities:</b>		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmaThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Construction activities.	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. Construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum.
12.	Hunting.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	River poisoning.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Use of Explosive.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Establishment of new wood based industry within one kilometer from the boundary of the Sanctuary.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16.	Contamination or pollution of water including from agriculture.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
17.	Laying of new high tension transmission Line/wire.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.



<b>B. Regulated Activities:</b>		
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
19.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
20.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
21.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
29.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
30.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
31.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
33.	Harvesting of timber.	Regulated under applicable laws.
34.	Jhum cultivation.	Regulated under applicable laws.
35.	Setting up of Tea / Coffee estate.	Regulated under applicable laws.

3953 GE/15-5

C. Permitted Activities:		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
41.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
42.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
43.	Rearing of Mithun ( <i>Bosfrontalis</i> ).	Permitted under applicable laws.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
- Deputy Commissioner, West Siang District, Aalo, Government of Arunachal Pradesh – Chairman;
  - One representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh for a term of one year in each case – Member;
  - Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board, Itanagar -Member;
  - Executive Engineer, Public Works Department, West Siang District - Member;
  - Executive Engineer, Rural Works Department, West Siang District - Member;
  - District Agriculture Officer, West Siang District - Member;
  - District Tourism Officer, West Siang District - Member;
  - One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh for a term of one year in each case - Member;
  - District Veterinary Officer, West Siang District - Member;
  - Divisional Forest Officer, Kane Wildlife Sanctuary, Likabali – Member Secretary.

**Terms of Reference:**


- The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
  - The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure II**.
  - The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.



# Annexure I

**Map of Eco-sensitive Zone boundary of Kane Wildlife Sanctuary, Arunachal Pradesh together with its latitudes and longitude of extremes and extent.**

MAP SHOWING ECO SENSITIVE ZONE OF KANE WILDLIFE SANCTUARY



## Annexure II

**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.  
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.